Nee K/R AMD/ AME

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, मई 17—मई 23, 2009, शनिवार/वैशाख 27—ज्येष्ठ 2, 1931

No. 18] NEW DELHI, MAY 17—MAY 23, 2009, SATURDAY/VAISAKHA 27—JYAISTHA 2, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 2009

सा.का.नि. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अपील अधिकरण (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखिज नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर अपील अधिकरण (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर अपील अधिकरण (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में,–

(1) स्तंभ 7 के टिप्पण में ''आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्त किए जाते हैं'' शब्दों के स्थान पर, ''आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के

लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)" शब्द रखे जाएंगे।

(2) स्तंभ 13 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"1. उपाध्यक्ष, आयकर अपील अधिकरण —अध्यक्ष

2. आयकर अपील अधिकरण का एक सदस्य —सदस्य

3. रजिस्ट्रार, आयकर अपील अधिकरण —सदस्य"

[फा. सं. ए-12018/1/2003-प्रशा.-III (वि.का.)]

ई. एस. नारायण, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 229 तारीख 15 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 19th May, 2009

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Income-Tax Appellate Tribunal (Senior Private Secretaries) Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-Tax Appellate Tribunal (Senior Private Secretaries) Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Income-Tax Appellate Tribunal (Senior Private Secretaries) Recruitment Rules, 2006,—

(1) in column 7, in the Note, for the words "The crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application as per advertisement", the words "The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)" shall be substituted;

(2) in column 13, for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Vice-President, Income Tax, Appellate Tribunal — Chairman

2. One Member of Income Tax Appellate Tribunal — Member

3. Registrar, Income Tax, Appellate Tribunal —Member."

[F. No. A-12018/1/2003-Admn. III(LA)]

E. S. NARAYAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R number 229 dated the 15th September, 2006.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1969 और सहायक मौसम विज्ञानी (समूह 'ख') भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग में सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-I और सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग [सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-(I) और सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-(II) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**-उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनके वर्गीकरण और उसका/उनका वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इनसे/इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**- उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ देय होगा	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-I	426* (2009) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	9300-34800 रु. धन श्रेणी-वेतन 4600 रु. सहित।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के निर्धारित आयु-सीमा और शैक्षिक योग्यता की शर्तें प्रोन्नति के लिए लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में जिस श्रेणी में प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन किया जाना है, उसका नाम	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति पहले से ही है तो उसके सदस्यों आदि का विवरण	ऐसी परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए सलाह ली जा सकती है
(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : 95 प्रतिशत प्रोन्नति ऐसे सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-II जिन्होंने वेतनमान 9300-34800 रु. धन श्रेणी वेतन 4600 रु. की उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है। 3 प्रतिशत प्रोन्नति ऐसे सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-II (फोरमैन औद्योगिक) जिन्होंने वेतनमान 9300-34800 रु. धन श्रेणी वेतन 4600 रु. की उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है। 2 प्रतिशत प्रोन्नति ऐसे सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-II (फोरमैन अनौद्योगिक) जिन्होंने वेतनमान 9300-34800 रु. धन श्रेणी वेतन 4600 रु. की उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :-** 1. मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक — अध्यक्ष 2. मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन एवं भंडार) — सदस्य 3. निदेशक अथवा मौसम विज्ञानी (स्थापना) — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-II	732* (2009) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	9300-34800 रु. धन श्रेणी-वेतन 4600 रु. सहित	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसे वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने वेतनमान 9300-34800 रु. धन श्रेणी वेतन 4200 रु. की उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित मौसम विज्ञान अथवा दूरसंचार अथवा उपकरण इंटरमीडियट प्रशिक्षण लिया हो । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से; इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।	**समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :—** 1. मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक — अध्यक्ष 2. मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन एवं भंडार) — सदस्य 3. निदेशक अथवा मौसम विज्ञानी (स्थापना) — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-II (फोरमैन औद्योगिक)	11* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	9300-34800 रु. धन श्रेणी-वेतन 4600 रु. सहित	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : 90% प्रोन्नति ऐसे यांत्रिकी सहायक (औद्योगिक) जिन्होंने वेतनमान	**समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :—** 1. मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक — अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(12)	(13)	
5200-20200 रु. धन श्रेणी वेतन 2800 रु. की उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित उपकरण में इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । 10% प्रोन्नति ऐसे यांत्रिकी सहायक (बढ़ई औद्योगिक) जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. धन श्रेणी वेतन 2800 रु. की उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित उपकरण में इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।	2. मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन एवं भंडार) — सदस्य 3. निदेशक अथवा मौसम विज्ञानी (स्थापना) — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी-II, अनौद्योगिक ।	6* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय ।	9300-34800 रु. धन श्रेणी-वेतन 4600 रु. सहित ।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसे यांत्रिकी सहायक (अनौद्योगिक) जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. धन श्रेणी वेतन	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :—** 1. मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक — अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(12)	(13)
2800 रु. की उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित उपकरण में इंटरमीडिएट प्रशिक्षण लिया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।	2. मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन एवं भंडार) — सदस्य 3. निदेशक अथवा मौसम विज्ञानी (स्थापना) — सदस्य

[सं. ए-12018/1/2003-ई-1]

राजीव शर्मा, मौसम विभाग के उपमहानिदेशक (प्रशासन एवं भण्डार)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 15th May, 2009

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the India Meteorological Department (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1969 and Assistant Meteorologist (Group 'B') Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Meteorologist Grade-I and Assistant Meteorologist Grade-II in the India Meteorological Department under the Ministry of Earth Sciences, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Earth Sciences, India Meteorological Department (Assistant Meteorologist Grade-I and Assistant Meteorologist Grade-II) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service Pension Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Meteorologist Grade-I	426* (2009) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 9300-34800 Plus Grade-Pay Rs. 4800.	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion : 95% promotion from Assistant Meteorologist Grade II in the scale of pay Rs. 9300—34800 plus grade pay Rs. 4600 with three years regular service in the grade.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion :** 1. Additional Director General of Meteorology —Chairman 2. Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores) —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(12)	(13)	
3% promotion from Assistant Meteorologist Grade II (Foreman Industrial) in the scale of pay Rs. 9300—34800 plus grade pay Rs. 4600 with three years regular service in the grade. 2% promotion from Assistant Meteorologist Grade II (Foreman Non-Industrial) in the scale of pay Rs. 9300—34800 plus grade pay Rs. 4600 with three years regular service in the grade. Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. Director or Meteorologist (Establishment)	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Meteorologist Grade-II	732* (2009) *subject to variation dependent on Workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 9300—34800 Plus Grade-pay Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(12)	(13)		(14)
Promotion : Scientific Assistants in the scale of pay Rs. 9300—34800 plus grade pay Rs. 4200 with three years regular service in the grade who have successfully completed Intermediate Training	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :** 1. Additional Director General of Meteorology 2. Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores)	—Chairman —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(12)	(13)		(14)
in Meteorology or Telecommunication or Instrumentation conducted by India Meteorological Department. Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. Director or Meteorologist (Establishment)	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Assistant Meteorologist Grade-II (Foreman Industrial)	11* (2009) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 9300—34800 Plus Grade-pay Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Two years for Promotee	Promotion

(12)	(13)		(14)
Promotion : 90% promotion from Mechanical Assistant (Industrial) in the scale of pay Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800 with eight years regular service in the grade who have successfully completed intermediate Training in Instrumentation conducted by India Meteorological Department. 10% promotion from Mechanical Assistant (Carpenter Industrial) in the scale of pay Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800 with eight years regular service in the grade who have successfully completed intermediate Training in Instrumentation conducted by India Meteorological Department. Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :** 1. Additional Director General of Meteorology 2. Deputy Director General of Meteorology (Administration and stores) 3. Director or Meteorologist (Establishment)	—Chairman —Member —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(12)	(13)	(14)
considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Meteorologist Grade-II (Foreman Non-Industrial)	6* *(2009) subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 9300—34800 Plus Grade-Pay Rs. 4600	Selection	Not Applicable	Not Applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Not Applicable	Two years for promotees	Promotion

(12)	(13)	(14)
Promotion : Mechanical Assistant (Non-Industrial) in the scale of pay Rs. 5200—20200 plus grade pay Rs. 2800 with eight years regular service in the grade who have successfully completed Intermediate Training in Instrumentation conducted by India Meteorological Department. Note.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :** 1. Additional Director General of Meteorology —Chairman 2. Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores) —Member 3. Director or Meteorologist (Establishment) —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[No. A-12018/1/03-E(I)]

RAJIV SHARMA, Dy. Director General of Meteorology (Admin. and Stores)